फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रामेश्वरलाल | **विपक्षी :– श्री लालचन्द**

किस्म मुकदमा – 53 रा.का.अ. | **पत्रावली संख्या : 04/21**

क्रमांक	**कार्यवाही विवरण**	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 07.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी श्री सोहनसिंह राणावत द्वारा पीडी पालना करते समय प्रतिवादी को सूचित नहीं किया जाने से आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रिपोर्ट पुनः तहसीलदार मावली को प्रेषित कर उभय पक्ष को मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया था। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा मौके पर पीडी पालना पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर पुनः रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा पुनः आपत्ति दर्ज करवाई की प्रतिवादी के मकान वाला हिस्सा वादी के हिस्से दर्ज कर दिया इसलिए अन्तिम डिक्री नहीं की जा सकती हैं। अधिवक्ता वादी श्री लाजवन्ती जैन द्वारा प्रतिवादी का हिस्सा प्रतिवादी के ही रखा होने का कथन कर आपत्ति खारिज कर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 की आपत्ति प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी के मकान वाली जमीन वादी को दे दी हो। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति का खारिज किया जाता हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अर्जुनलाल 17/243 नन्दकिशोर 192/243 माधवलाल 17/243, लालचन्द 17/243 पिता कन्हैयालाल यादव सा. देह खातेदार	5684/3299 मी. 5684/3299/2	0.1923 0.2011	बा.प्र. बा.प्र.	0.33 0.22
	योग	**किता 02**	**0.3934**	**–**	**0.55**
2	रामेश्वरलाल पिता किशोर खटीक सा. देह खातेदार	3296 मी. 3297 मी. 3298 5684/3299/1 5684/3299/3	0.0081 0.0324 0.2995 0.0950 0.7257	आ.खड्डा आ.खड्डा बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र.	0.00 0.00 0.33 0.10 0.80
	योग	**किता 5**	**1.1607**	**–**	**1.23**

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 04/21 (वाद) GCMS No. : 2021/10

उनवान

1. श्री रामेश्वरलाल पिता किशोर खटीक निवासी सनवाड तह. मावली।

........वादी

बनाम

1. श्री लालचन्द पिता कन्हैयालाल यादव निवासी हिरावास फतहनगर तह. मावली।
2. श्री नन्दकिशोर पिता कन्हैयालाल यादव निवासी हिरावास फतहनगर तह. मावली।
3. श्री माधवलाल पिता कन्हैयालाल यादव निवासी हिरावास फतहनगर तह. मावली।
4. श्री अर्जुनलाल पिता कन्हैयालाल यादव निवासी हिरावास फतहनगर तह. मावली।
5. सुमित्रा पुत्री कन्हैयालाल पत्नी पुनमचन्द यादव निवासी हिरावास फतहनगर हाल नीमच जिला नीमच।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.02.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अर्जुनलाल 17/243 नन्दकिशोर 192/243 माधवलाल 17/243, लालचन्द 17/243 पिता कन्हैयालाल यादव सा. देह खातेदार	5684/3299 मी. 5684/3299/2	0.1923 0.2011	बा.प्र. बा.प्र.	0.33 0.22
	योग	**किता 02**	**0.3934**	**–**	**0.55**
2	रामेश्वरलाल पिता किशोर खटीक सा. देह खातेदार	3296 मी. 3297 मी. 3298 5684/3299/1 5684/3299/3	0.0081 0.0324 0.2995 0.0950 0.7257	आ.खड्डा आ.खड्डा बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र.	0.00 0.00 0.33 0.10 0.80
	योग	**किता 5**	**1.1607**	**–**	**1.23**

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 07.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 13:06:31 IST
Reason: SelfAttested